Satyanarayan Sheohare
Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui
SC/ST Case no. 86 of 2024
(Jamui Mahila P.S. Case No.-16/2024)
Date of Judgement : 13.11.2024
----------State of Bihar Vs. Prem Kumar @ Anshuman Prem -------

बिहार राज्य द्वारा सूचिका छोटी कुमारी

बनाम

प्रेम कुमार उर्फ अंशुमान प्रेम, उम्र ..... वर्ष,

पिता–मदन सिंह उर्फ मदन कुमार सिंह

आरोप भा0द0वि0 की धारा 376, 506 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(va) के अंतर्गत

अभियोजन पक्ष की ओर से – 1. **श्री मनोज कुमार दास,**
विद्वान विशेष लोक अभियोजक
2. **श्री राजीव रंजन सिंह,**
विद्वान अधिवक्ता।

बचाव पक्ष की ओर से – **श्री दिलीप कुमार सिंह,**
विद्वान अधिवक्ता

दिनांक :–13.11.2024

निर्णय

1. सूचिका छोटी कुमारी के द्वारा जमुई महिला थानाध्यक्ष, जमुई को दिए गए लिखित आवेदन के अनुसार उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 376, 506 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(va) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के करने के लिये प्रथम् दृष्टया मामला बनता हुआ पाया गया तथा अभियुक्त को विचारण हेतु आहुत किया गया।

2. सूचिका छोटी कुमारी के द्वारा थाना को दिये गये लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप इस प्रकार है कि वह प्रेम कुमार से प्रेम करती थी और उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक बनाया और वह गर्भवती हो गई। दिनांक 21 फरवरी, 2024 को रात 10 बजे अभियुक्त ने उसे शादी करने के लिए बुलाया लेकिन वह शादी नहीं किया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और और बोला कि दूसरे दिन शादी करेंगे और वह घर चला गया। वह जब भी अभियुक्त से शादी करने को कहता था तो वह वहाना बना देता था और वह फोन से भी धमकी देता था कि तुम छोटी जाति का हो इसलिए शादी नहीं कर सकता तथा अभियुक्त ने फोन से भी बात करना बंद कर दिया तो वह मांसिक रूप से परेशान होकर थाना में केस दर्ज करायी।

Satyanarayan Sheohare
Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui
SC/ST Case no. 86 of 2024
(Jamui Mahila P.S. Case No.-16/2024)
Date of Judgement : 13.11.2024
----------State of Bihar Vs. Prem Kumar @ Anshuman Prem -------

3. उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक 19.10.2024 को भा0द0वि0 की धारा 376, 506 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(va) के अंतर्गत के अंतर्गत दंडनीय अपराध के करने के लिए आरोप का गठन कर हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे उसने इंकार किया एवं विचारण की माँग की।

4. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए तीन साक्षियों का साक्ष्य करवाया है। अभियोजन साक्षी संख्या 1 छोटी कुमारी (पीड़िता एवं कांड की सूचिका), अभियोजन साक्षी संख्या 2 रीना देवी (सूचिका की मां), अभियोजन साक्षी संख्या 3 मुन्नी देवी, अभियोजन साक्षी संख्या 4 श्याम किशोर सिंह है।

5. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत लेखबद्ध अभिकथन (Statement) में अभियुक्तगण ने घटना से इंकार किया है एवं स्वयं को निर्दोष होना कहा है।

6. अभियुक्त की ओर से मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया गया।

मंतव्य (Findings)

7. **अभियोजन साक्षी संख्या 1 छोटी कुमारी** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना 04–05 साल पूर्व की है। उस समय वह पढ़ाई करती थी और प्रेम कुमार के साथ प्रेम हो गया था। उसके साथ रिलेशन शिप में रही और वह गर्भवती रह गई। उसने शादी करने के लिए कही लेकिन वह शादी नहीं किया तो उसने प्रेम कुमार पर केस कर दी। उसने अपने हस्तलेख में लिखित आवेदन महिला थाना जमुई में दिया था जिसपर हस्ताक्षर को प्रदर्श–पी1–पी0डब्लू–1 ग्राह्य कराया गया है तथा पैरा 2 में अभियुक्त प्रेम कुमार की पहचान की है। **प्रतिपरीक्षा (Cross examination)** के दौरान पैरा 2 में साक्षी ने कथन किया है कि **अभियुक्त प्रेम कुमार और उसने 04 अप्रैल, 2024 को अपनी मर्जी से शादी कर ली है। अभियुक्त प्रेम कुमार से उसको एक पुत्र है।** शादी हो जाने के कारण **वह मुकदमा लड़ना नहीं चाहती हूँ।** दोनों पति–पत्नी साथ रहते हैं। दोनों के बीच में कभी गाली गलौज एवं मारपीट नहीं होता है तथा दोनों के बीच वैवाहिक जीवन सुखीपूर्व व्यतीत हो रहा है।

8. **अभियाजन साक्षी संख्या 2 रीना देवी** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि छोटी कुमारी और प्रेम कुमार, में प्रेम प्रसंग था, दोनों ने निकाह कर लिया। मनमुटाव के कारण यह मुकदमा हुआ। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कहा है कि अभियुक्त निर्दोष है यह मुकदमा बहकावें में हुआ था।

Satyanarayan Sheohare
Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui
SC/ST Case no. 86 of 2024
(Jamui Mahila P.S. Case No.-16/2024)
Date of Judgement : 13.11.2024
----------State of Bihar Vs. Prem Kumar @ Anshuman Prem -------

9. **अभियोजन साक्षी संख्या 3 मुन्नी देवी एवं अभियोजन साक्षी संख्या 4 श्याम किशोर सिंह** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि कथना के बारे में कुछ नहीं जानते है। फलतः यह साक्षी अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुये।

10. इस मामले में अवधारण हेतु प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष इस मामले में उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा 376, 506 एवं अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम की की धारा 3(2)(va) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने के आरोप को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

11. मैंने उभयपक्षों की बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया। कांड की सूचिका ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षा (Examination) में कथन किया है कि वह अभियुक्त के साथ रिलेशनशीप में रहती थी जिससे वह गर्भवती हुई। अभियुक्त ने शादी से इंकार कर दिया था तो उसने यह मुकदमा किया। प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि 04.04.2024 उसके एवं आवेदक अभियुक्त के मध्य विवाह हो चुका है तथा विवाह के पश्चात् से वो वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभियोजन साक्षी संख्या 2 जो सूचिका की माँ है, ने कथन किया है कि लोगों के बहकावें में यह मुकदमा किया गया था। इन अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर मैं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के इन तर्कों से सहमत हूं कि अभियोजन पक्ष उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध इस मामले में लगे आरोप को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः

आदेश

उपरोक्त तर्क एवं विवेचनाओं तथा अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रेम कुमार उर्फ अंशुमान प्रेम को भा0द0वि0 की धारा 376, 506 एवं अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम की धारा 3(2)(va) के लिये दोषमुक्त किया जाता है तथा उन्हें एवं उनके जमानतदारों को बंध पत्र के दायित्व से भी मुक्त किया जाता है।

मेरे द्वारा उद्घोषित लेखापित एवं शुद्धित

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई।
दिनांक–13.11.2024

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक–13.11.2024